

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मू० - 13/2024

नवान :-

1. सत्यनारायण पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी महराना त० भादरा



बनाम

1. केसरदेवी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
2. बलवान सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
3. राजबाला पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
5. रामचन्द्र पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
6. चन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
7. रोहताश पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
8. संजय पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
9. सरोज पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
10. सीमा पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
11. कृष्णकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
12. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा निनाण जरिये प्रबन्धक।
14. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबडी जरिये प्रबन्धक।
15. तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251

ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज० कॉल० ए

उपस्थिति :- श्री पवन सिहाग प्रार्थी

श्री रामचन्द्र बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 21/11/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं० 88/168 के मु०न० 23 के किला न० 6, 15 मु०न० 24 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, ता 12 की कुल 2.0240 है० प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के चिपते ही चक 5 एमआरएन के खाता सं० 151/137 के मु०न० 13 के किला 0 21-22 मु०न० 14 के किला न० 1 ता 6 की कुल 2.0240 है० अप्रार्थी रामचन्द्र के नाम एवं मचन्द्र के चिपते ही चक 5 एमआरएन के खाता सं० 78/123 के मु०न० 13 के किला न० 2, 9 I 12, 19, 20 कुल 1.7710 है० अप्रार्थी कृष्णकुमार व नरेश कुमार के नाम तथा इनके उतरी रफ इसी चक 5 एमआरएन के खाता सं० 201/176 के मु०न० 4 के किला न० 22 ता 25

Page 1 of 3

*Kalpit*  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,  
जिला-हनुमानगढ़)



5 के किला न0 21, 22 मु0न0 13 के किला न0 1 ता 7 की कुल 17710है0 अप्रार्थी चन्द, सांय, सरोज, सीमा व उनकी मृतक माता धर्या पत्नी सोहनलाल के नाग बहिरसा की खातेदारी है। अप्रार्थीगण चन्द आदि के दक्षिणी तरफ चक 5 एमआएन के खाता सं0 14 के मु0न0 14 के किला न0 7 ता 14 की कुल 2.024है0 अप्रार्थी केशरदेवी, बलवानसिंह, एमआएन एवं सुमित्रा के नाग बहिरसा बराबर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए चक 5 एमआएन के मु0न0 15 के किला न0 6 स्वीकृत रास्ता से होकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की कृषि भूमि के मु0न0 14 के किला न0 10 के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई बिस्वा एवं अप्रार्थी सं0 5 की कृषि भूमि के मु0न0 14 के किला न0 1 ता 5 में किला एक बिस्वा एवं अप्रार्थी सं0 5 की कृषि भूमि के मु0न0 14 के किला न0 1 ता 5 में किला दक्षिणी तरफ किला लाइन के पास पास पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में एक-एक बिस्वा तथा सं0 6 ता 10 की कृषि भूमि मु0न0 13 के किला न0 1 में किला के दक्षिणी पश्चिमी कोने के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई में यानि प्रत्येक किला में एक-एक बिस्वा में मु0न0 13 के किला न0 10-11-20 प्रत्येक किला में किला के पश्चिमी ओर किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई में यानि एक बिस्वा भूमि में से लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई में अंकन नहीं होने के कारण आवागमन करता आ रहा है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बन्द करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी रोही मौजा चक 5 एमआएन के खाता सं0 188/168 के मु0न0 23 के किला न0 6, 15 मु0न0 24 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12 की कुल 2.024है0 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की कृषि भूमि के मु0न0 14 के किला न0 10 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई यानि एक बिस्वा एवं अप्रार्थी सं0 5 की कृषि भूमि के मु0न0 14 के किला न0 1 ता 5 में किला के दक्षिणी तरफ किला लाइन के पास पास पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में एक-एक बिस्वा तथा अप्रार्थी सं0 6 ता 10 की कृषि भूमि मु0न0 13 के किला न0 1 में किला के दक्षिणी पश्चिमी कोने में 16.6 फिट गुणा 16.6 फिट यानि 0.00325 है0 भूमि में से एवं अप्रार्थी सं0 11-12 की कृषि भूमि मु0न0 13 के किला न0 10-11-20 प्रत्येक किला में किला के पश्चिमी ओर किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई में यानि प्रत्येक किला में एक-एक बिस्वा एवं अप्रार्थी सं0 5 की कृषि भूमि मु0न0 13 के किला न0 21 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई में यानि एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी सं0 5 को अपनी खातेदारी के चिपते ही अप्रार्थी सं0 6 ता 10 की खातेदारी के मु0न0 4 के किला न0 22-23 प्रत्येक में से 0.01625है0

अप्रार्थी की खातेदारी के मु0न0 24 के किला न0 1-2 के उत्तरी तरफ से प्रत्येक किला में  
अप्रार्थी सं0 11-12 को अप्रार्थी सं0 6 की खातेदारी के मु0न0 13 के किला न0  
प्रत्येक किला से 0.00325है0 भूमि देना प्रस्तावित है। इसलिए मुआविक अनुमान यथागत  
प्रस्तावित प्रस्तावित सरता स्वीकृत किया जावे। एवं उक्त प्रस्तावित सरता पर कमी  
ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वरस पर गनन किया गया। पत्रावली में प्रकृत  
जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित सरता की भूमि के एवज के बदले  
के मध्य भूमि का आदान-प्रदान किया जाना स्वीकार किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार  
किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे सीधी मौजा नक 5  
आधारन के मु0न0 14 के किला न0 10 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास पास  
आर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई यानि एक बिस्वा मु0न0 14 के किला न0 1 ता 5 में  
आर के दक्षिणी तरफ किला लाइन के पास पास पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में एक-एक  
बिस्वा तथा मु0न0 13 के किला न0 1 में किला के दक्षिणी पश्चिमी कोने में 16.6 फिट गुणा 16.  
6 फिट यानि 0.00325 है0 तथा मु0न0 13 के किला न0 10-11-20 प्रत्येक किला में किला के  
पश्चिमी ओर किला लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई में यानि प्रत्येक  
किला में एक-एक बिस्वा में एवं मु0न0 13 के किला न0 21 में किला के पश्चिमी तरफ किला  
लाईन के पास पास उत्तर से दक्षिण सवा आठ फिट चौड़ाई में यानि एक बिस्वा सरता स्वीकृत  
कर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त करें। एवं सरता की भूमि की  
एवज में अप्रार्थी सं0 5 के हिस्सा में अपनी खातेदारी के चिपते ही अप्रार्थी सं0 6 ता 10 की  
खातेदारी के मु0न0 4 के किला न0 22-23 प्रत्येक में से 0.01625है0 भूमि एवं प्रार्थी की  
खातेदारी के मु0न0 24 के किला न0 1-2 के उत्तरी तरफ से प्रत्येक किला से 0.01625है0 दर्जा  
करें एवं इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 11-12 के हिस्सा में अप्रार्थी सं0 5 की खातेदारी के मु0न0 13  
के किला न0 21-22 प्रत्येक किला से 0.00325है0 दर्जा की जाना सुनिश्चित करें तदुपरांत  
उपरोक्तानुसार सरता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 21/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कलियुक्त शिवाणन)  
उपखण्डधिकारी (राजस्व, S)  
माय प्रशासन-अभिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला डेनुमानगाक